



57/18

अपीलांत अन्तः। रेसपो. श्री ललकी  
हेलु अपीलांत ने कोरी कारिवाली  
नहीं की गरी हो अपीलांत का  
उन्हे वकील उप. नहीं। प्रकरण  
अदम वाजरी पदम चेहरी इसी  
स्टेज पर खरिज की जाती हो  
पगावली फैसला सुमार हो. सामान्य  
बाद कारिवाली दाखिल दफ्तर हो

श्रीला व  
दफ्तर